



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 477]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2011

New Delhi, the 17th March, 2011

का.आ. 591(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्व विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या, का.नि.आ. 355, दिनांक 7 जनवरी, 1957 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, नामशः :

S.O. 591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India erstwhile Ministry of Law and Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) number S.R.O. 355, dated the 7th January, 1957, namely :—

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा (2) में, उप-पैरा (i) लुप्त हो जाएगा ।

1. In the said notification, in paragraph (2), sub-paragraph (i) shall be omitted.

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[फा. सं. 9/1/2011-सीएल-V]

[F. No. 9/1/2011-C.L-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

नोट : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 355, दिनांक 7 जनवरी, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236, दिनांक 31-1-1978 के द्वारा किया गया था ।

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.R.O. 355, dated 7th January, 1957 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 236, dated 31-1-1978.